



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-28092026-276554
CG-AP-E-28092026-276554

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5111]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948

No. 5111]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण तट रेलवे)

अधिसूचना

विशाखपट्टणम, 21 सितंबर, 2026

का.आ. 5318(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले में वीरपल्ली गांव और उलवपाडु मंडल में 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य-ओंगोल-गूडूर सेक्शन में तेट्टु टीएसएस का निर्माण के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी(एलए), अर्थात् उप-कलक्टर, कंदुकूर, प्रकाशम जिले को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप-कलक्टर, कंदुकूर, प्रकाशम जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (ii) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य- आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले में वीरपल्ली गांव और उलवपाडु मंडल में ओंगोल-गूडूर सेक्शन में तेट्टु टीएसएस का निर्माण।

क्र.सं	एलपी सं.	सर्वेक्षण सं.	एकड़ सेंट में प्रस्तावित क्षेत्र	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	भूमि खोने वाले का नाम और पिता/पति का नाम	एकड़ सेंट में अधिग्रहण का क्षेत्र	संरचनाएं/ पेड़/आदि यदि कोई हो
1	1351	298-ए, 305-ए, 306, 308-1बी2.	2.51	पट्टा	आर्द्र/ शुष्क	श्री गुर्रम राघवुलु सुपुत्र सिंगय्या	2.51	-
2	1204	308/2ए, 308-2ए1	0.5450			श्री गुर्रम सिंगय्या सुपुत्र कोटिलिंगम	0.5450	-
कुल			3.055				3.055	

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/Tettu/20A]

के.सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Coast Railway)

NOTIFICATION

Visakhapatnam, the 21st September, 2026

S.O. 5318(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required “Construction of Tettu TSS in Ongole-Gudur section for Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25kV to 2x25KV to meet 3000 MT loading target” in Veerapalli Village & Ulavapadu Mandal in Prakasam District in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority(LA), namely, Sub-Collector, Kandukur, Prakasam District in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Sub-Collector, Kandukur, Prakasam District shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Construction of Tettu TSS in Ongole-Gudur section for Up – Gradation work of Electric Traction System from 1x25Kv to 2x25Kv traction system to meet 3000 MT loading target in Veerepalli Village & Ulavapadu Mandal in Prakasam District in the state of Andhra Pradesh.

Sl. No	LP NO	Sy.No	Area proposed for Acquisition in Ac.Cents	Type of Title	Type of Land	Name of the Land loser and Father/Husband Name	Extent under Acquisition in Ac.Cents	Structures/ Trees/etc., if any
1	1351	298-A, 305-A, 306, 308-1B2.	2.51	Patta	Wet/ Dry	Sri Gurram Raghavulu S/o Singaiah	2.51	-
2	1204	308/2A, 308-2A1	0.5450			Sri Gurram Sigaiah S/o Kotilingam	0.5450	-
Total			3.055				3.055	

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/Tettu/20A]

K.SURYANARAYANA, Chief Engineer/Con-II